Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to make Rights of gig workers more effective- Laid.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): विश्व की बदलती हुई उद्योग एवं व्यापार कार्य संस्कृति में देश में कार्यरत गिग कामगारों की संख्या लगभग 77 लाख के करीब है और इसके वर्ष 2029-30 तक लगभग तीन गुना से अधिक होकर लगभग 2.35 करोड़ होने की संभावना है । एक अनुमान के अनुसार गिग इकॉनमी वर्ष 2024 तक 455 बिलियन डालर हो जाएगी । गिग कामगार अधिकांश वे कामगार होते हैं जो कम कुशल या बिना किसी विशेष कौशल के हैं तथा अपने जीवोकोपार्जन के उद्योगों और विभिन्न संघटनों में अपनी सेवाएं बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के दे रहे हैं । उद्योगों के लिए इस तरह के कामगारों को अपने संस्थान में रखना आर्थिक रूप से लाभदायक होता है और वे गिग वर्कर्स को निर्धारित मानकों से कम मानदेय देने और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लाभ से वंचित रखते हैं । जिसके कारण न सिर्फ गिग वर्कर्स का अपितु उन पर आश्रित उनके परिवारजनों का भी भविष्य असुरक्षित रहता है । यद्यपि गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा पहल सरकार द्वारा गिंग वर्कर सोशल सिक्यूरिटी कोड 2020 के माध्यम से की गई जिसके माध्यम से पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कार्यस्थल पर अन्य उपचारात्मक उपायों का संरक्षण किया गया है और गिग श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं पर इन सभी अधिकारों और सुविधाओं को व्यवहारिक रूप से और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे गिग कामगारों को इनका लाभ शतप्रतिशत मिल सके ।

इसके साथ ही तकनीकी रूप से उच्च कुशलता वाले कामगार भी अपनी योग्यता की सेवाएं उद्योगों और संघटनों को प्रदान कर रहे हैं परन्तु बदलती हुई कार्य संस्कृति में कार्य करने के लचीलेपन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है । आज के समय में ये कुशल कामगार एक से अधिक कंपनियों /संगठनों को कुशलता के साथ अपनी सेवाएं देने में सक्षम हैं और जिसका लाभ कामगार और कंपनियों/संगठनों दोनों को हो सकता है और कार्य निष्पादन की गुणवता में भी सुधार हो सकता है । नवीन कार्य संस्कृति में इसको मूनलाइटिंग कहा जाता है और इस मूनलाइटिंग अधिकारों के प्रति उद्योग जगत एकमत नहीं है जिसका नुकसान इन गिंग कामगारों को उठाना पड़ रहा है ।

अतः मेरी सरकार से यह मांग है कि गिग कामगारों के अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाते हुए मूनलाइटिंग के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाये जाएं ।